न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 161/2018 **दायरा दिनांक : 26.11.2018**

उनवान

कन्हीराम आत्मज देवीलाल, जाति गूर्जर, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– गोपाल वल्द नानूराम, जाति गूर्जर, निवासी रामचन्द्र जी का खेड़ा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– हरीसिंह आत्मज नानूराम, जाति गूर्जर, निवासी रामचन्द्र जी का खेड़ा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 16.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 135/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया कि खाता संख्या 101 नामान्तरकरण संख्या 1165 से खसरा नम्बर 248/5 रकबा 10 बिस्वा आराजी वाके ग्राम माण्डवी वादी ने श्रीमती

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

सरतानबाई पत्नी पृथ्वीसिंह गूर्जर निवासी खेड़ा गूजरान से 8 बिस्वा आराजी दक्षिण की तरफ की बिल एवज 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये में जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.05.2011 को खरीद कर मौके पर कब्जा प्रापत किया था जिस पर वादी अपीलांट का कब्जा लगातार चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादीगण ने वादी अपीलांट के कब्जे एवं खाते की उक्त आराजी 8 बिस्वा पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है इस बाद में प्रतिवादीगण ने इंकारी जवाबदावा पेश किया एवं निवेदन किया कि खसरा नम्बर 248/5 में से प्रतिवादीगण नम्बर 2 की पत्नी कलावती बाई ने 11 बिस्वा आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.05.2010 को खरीदी है एवं कब्जा प्राप्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में प्रकरण का निर्णय कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है एवं पक्षकारों की बिना साक्ष्य लिये पारित की गई है जो निरस्तनीय है । अपीलांट को केम्प की कोई सूचना नहीं दी गई एवं गलत तौर से मेगा केम्प भवानीमण्डी में प्रकरण को रखकर एक तरफा मनमाना, परवर्स, केप्रिसियश निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है एवं निरस्तनीय है । अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का भी अवसर नहीं दिया गया । अपीलांट रिकार्ड खातेदार है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 अपास्त की जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद का निस्तारण लोक अदालत में किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.06.2018 को पत्रावली राजस्व

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

लोक अदालत केम्प कुण्डीखेड़ा में प्रस्तुत होने व वादी अपीलांट अनुपस्थित होने व प्रतिवादी रेस्पोडेंट संख्या 2 के उपस्थित होने का अंकन है । सलंग्न नोटिस का अवलोकन से स्पष्ट है कि कन्हीराम अपीलांट को नोटिस जारी किया गया है लेकिन तामील कुनिन्दा की कोई रिपोर्ट नोटिस पर अंकित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.06.2018 में पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प भवानीमण्डी पर पेश होने का अंकन है लेकिन इस केम्प में पक्षकारों की उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस पत्रावली में सलंग्न नहीं है इससे स्पष्ट है कि वादी अपीलांट को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया है, जो सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से हम प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.06.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा